क्रम-संख्या–300

पीज.नं.एल.डब्लू./एन.पी.-890
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 2 अगस्त, 1997

श्रावण 11, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1116/सत्रह-वि-1—1(क)-7-1997

लखनऊ, 2 अगस्त, 1997

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 2 अगस्त, 1997 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1997 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1997

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1997)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जाएगा।

(2) यह दिनांक 23 मई, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 122-ख का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 122-ख में, उपधारा (4-च) में, शब्द और अंक "30 जून, 1985" के स्थान पर शब्द और अंक "3 जून, 1995" रख दिए जायेंगे।

धारा 123 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 123 में, शब्द और अंक "30 जून, 1985", जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर शब्द और अंक "3 जून, 1995" रख दिए जायेंगे।

नयी धारा 157-कक का बढ़ाया जाना

4— मूल अधिनियम की धारा 157-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :—

"157 कक— (1) धारा 157-क में किसी बात के होते हुए और धारा 153 से 157 धारा 131-ख के अधीन भूमिधर हुए अनुसूचित जातियों के सदस्यों द्वारा अन्तरण पर प्रतिबंध में दिए गए प्रतिबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को, जो धारा 131-ख के अधीन भूमिधर हुआ है, किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बन्धक या पट्टे पर भूमि अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा, और ऐसा अन्तरण, यदि कोई हो, निम्नलिखित अधिमान के क्रम में होगा:—

(क) भूमिहीन खेतिहर मजदूर;

(ख) सीमान्त कृषक;

(ग) लघु कृषक;

(घ) खण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के पक्ष में अन्तरण नीचे दिए गए अधिमान के क्रम से होगा। यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो उक्त उपधारा के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को और यदि खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति भी उपलब्ध नहीं है तो उक्त उपधारा के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को और यदि खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति भी उपलब्ध नहीं है तो उक्त उपधारा के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति को अन्तरण उसी अधिमान के क्रम में किया जा सकता है :—

(क) प्रथमतः उसी गांव के निवासी को जिसमें भूमि स्थित है;

(ख) द्वितीयतः यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो किसी अन्य गांव के निवासी को जो उस पंचायत क्षेत्र के भीतर है जिसमें वह गांव समाविष्ट है जिसमें भूमि स्थित है;

(ग) तृतीयतः यदि खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो किसी गांव के निवासी को जो उस पंचायत क्षेत्र से लगा हुआ है जिसमें वह गांव समाविष्ट है जिसमें भूमि स्थित है।

(3) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो भूमि किसी अनुसूचित जन-जाति के व्यक्ति को उपधारा (1) और (2) में दिए गए अधिमान के क्रम में अन्तरित की जा सकती है।

(4) इस धारा के अधीन कोई अन्तरण सम्बन्धित असिस्टेन्ट कलक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(1) 'खेतिहर मजदूर' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य साधन खेती संबंधी मजदूरी हो;

(2) 'भूमिहीन' का तात्पर्य ऐसे अन्तरिती से है जो स्वयं, या जिसकी पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो, या अवयस्क बच्चे और जहां अन्तरिती अवयस्क है, उसके माता-पिता के पास भी भूमिधर या असामी के रूप में कोई भूमि न हो और अन्तरण के दिनांक से ठीक दो वर्ष पूर्व की अवधि में भी इस रूप में कोई भूमि न रही हो;

(3) 'पंचायत क्षेत्र' का वही तात्पर्य है जो संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 में उसके लिए दिया गया है;

(4) 'सीमान्त कृषक' का तात्पर्य किसी ग्राम में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास एक हेक्टेयर असिंचित भूमि से अनधिक कृषि भूमि हो, और जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि भूमि या ऐसी भूमि पर शारीरिक श्रम द्वारा प्राप्त आय हो और उसमें असामी के रूप में या साझीदार के रूप में खेती करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है ;

(5) 'लघु कृषक' का तात्पर्य गांव में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास एक हेक्टेयर से अधिक किन्तु दो हेक्टेयर से अनधिक असिंचित भूमि हो, और जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि भूमि या ऐसी भूमि पर शारीरिक श्रम द्वारा प्राप्त आय हो और उसमें असामी के रूप में या साझीदार के रूप में खेती करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है ;

टिप्पणी—इस स्पष्टीकरण के खण्ड (4) और (5) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) एक हेक्टर सिंचित भूमि दो हेक्टर असिंचित भूमि के बराबर होगी;

(ख) 'सिंचित भूमि' और 'असिंचित भूमि' का तात्पर्य वही होगा, जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 में उनके लिए क्रमशः दिया गया है।"

नई धारा 157-ख का बढ़ाया जाना

5.—मूल अधिनियम की धारा 157-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 131-ख के अधीन भूमिधर हुए अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध

"157-खख—(1) धारा 157-ख में किसी बात के होते हुए और धारा 153 से 157 में दिए गए प्रतिबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुसूचित जन-जाति के किसी व्यक्ति को, जो धारा 131-ख के अधीन भूमिधर हुआ है, किसी अनुसूचित जन-जाति के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बन्धक या पट्टे पर भूमि अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा और ऐसा अन्तरण, यदि कोई हो, निम्नलिखित अधिमान के क्रम में होगा :—

(क) भूमिहीन खेतिहर मजदूर;

(ख) सीमान्त कृषक;

(ग) लघु कृषक;

(घ) खण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के पक्ष में अन्तरण नीचे दिए गए अधिमान के क्रम से होगा। यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो उक्त उपधारा के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को और यदि खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति भी उपलब्ध नहीं है तो उक्त उपधारा के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को और यदि खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति भी उपलब्ध नहीं है तो उक्त उपधारा के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति को अन्तरण उसी अधिमान के क्रम में किया जा सकता है :—

(क) प्रथमतः उसी गांव के निवासी को जिसमें भूमि स्थित है;

(ख) द्वितीयतः यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो किसी अन्य गांव के निवासी को, जो उस पंचायत क्षेत्र के भीतर हो जिसमें वह गांव समाविष्ट है जिसमें भूमि स्थित है;

(ग) तृतीयतः यदि खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो किसी गांव के निवासी को जो उस पंचायत क्षेत्र से लगा हुआ है जिसमें वह गांव समाविष्ट है जिसमें भूमि स्थित है।

(3) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अनुसूचित जन-जाति का व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो भूमि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उपधारा (1) और (2) में दिए गए अधिमान के क्रम में अन्तरित की जा सकती है।

(4) इस धारा के अधीन कोई अन्तरण सम्बन्धित असिस्टेन्ट कलक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'खेतिहर मजदूर', 'भूमि हीन', 'पंचायत क्षेत्र', 'सीमान्त कृषक' और 'लघु कृषक' का तात्पर्य वही होगा जो धारा 157-क में क्रमशः उनके लिए है ।"

निरसन और अपवाद

6--(1) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
रविन्द्र दयाल माथुर,
प्रमुख सचिव ।

No. 1117 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-16-1997

Dated Lucknow, August 2, 1997

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zamindari Vinash Aur Bhumi Vyavastha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1997, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 1997) as passed by the Utter Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 2, 1997.

THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS (AMENDMENT) ACT, 1997

(U. P. Act No. 9 of 1997)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.

It is hereby enacted in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 1997.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 23, 1997.

Amendment of section 122-B of U. P. Act no. 1 of 1951

2. In section 122-B of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (4-F), *for* the word and figures "June 30, 1985", the word and figures "June 3, 1995" shall be *substituted*.

Amendment of section 123

3. In section 123 of the principal Act, *for* the word and figures "June 30, 1985", wherever occuring, the word and figures "June 3, 1995" shall be *substituted*.

Insertion of new section 157-AA

4. *After* section 157-A of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely ;—

Restrictions on transfer by member of Scheduled Castes becoming Bhumidhar under section 131-B.

"157-AA. (1) Notwithstanding anything contained in section 157-A, and without prejudice to the restrictions contained in sections 153 to 157, no person belonging to a Scheduled Caste having become a Bhumidhar with transferable rights under section 131-B shall have the right to transfer the land by way of sale, gift, mortgage or lease to a person other than a person belonging to a Scheduled Caste and such transfer, if any, shall be in the following order of preference. :—

(*a*) landless agricultural labourer;

(*b*) marginal farmer;

(*c*) small farmer; and

(*d*) a person other than a person referred to in clauses (*a*), (*b*) and (*c*).

(2) A transfer in favour of a person referred to in clause (*a*) of sub-section (1) shall be made in order of preference given below. If a person referred to in clause (*a*) is not available then transfer may be made to a person referred to in clause (*b*) of the said sub-section and if a person referred to in clause (*b*) is also not available then to a person referred to in clause (*c*) of the said sub-section and if a person referred to in clause (*c*) is also not available then to a person referred to in clause (*d*) of the said sub-section in the same order of preference :—

(*a*) first, to the resident of the village where the land is situate ;

(*b*) secondly, if no person referred to in clause (*a*) is available, to the resident of any other village within the Panchayat area comprising the village where the land is situate;

(*c*) thirdly, if no person referred to in clauses (*a*) and (*b*) is available, to the resident of a village adjoining the Panchayat area comprising the village where the land is situate.

(3) If no person referred to in sub-section (1) belonging to a Scheduled Caste is available, the land may be transferred to a person belonging to a Scheduled Tribe in the order of preference given in sub-sections (1) and (2).

(4) No transfer under this section shall be made except with the previous approval of the concerned Assistant Collector.

Explanation :—For the purpose of this section,—

(1) 'Agricultural labourer' means a person whose main source of livelihood is agricultural labour ;

(2) 'landless' means the transferee who or whose wife or husband, as the case may be, or minor children, and where the transferee is a minor, also his or her parents, hold no land as *bhumidhar* or *asami* and also hold no land as such within two years immediately preceding the date of transfer;

(3) 'Panchayat area' shall have the meaning assigned to it in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947;

(4) 'marginal farmer' means a person residing in a village, who holds agricultural land not exceeding one hectare of unirrigated land, and whose principal means of livelihood is income from agricultural land or by manual labour on such land, and includes a person cultivating land as an asami or as a share-cropper;

(5) 'small farmer' means a person residing in a village, who hold unirrigated land exceeding one hectare but not exceeding two hectares, and whose principal source of livelihood is income from agricultural land or by manual labour on such land and includes a person cultivating land as an asami or as a share-cropper.

NOTE :—For the purposes of clauses (4) and (5) of this explanation :—

(a) One hectare of irrigated land shall be equated to two hectares of unirrigated land;

(b) 'irrigated land' and 'unirrigated land' shall have the meanings respectively assigned to them in the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holding Act, 1960."

Insertion of a new section 157-BB

5. *After* section 157-B of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"157-BB. (1) Notwithstanding anything contained in section 157-B and without prejudice to the restrictions contained in sections 153 to 157, no person belonging to a Scheduled Tribe having become a *Bhumidhar* with transferable rights under section 131-B shall have the right to transfer the land by way of sale, gift, mortgage or lease to a person other than a person belonging to a Scheduled Tribe, and such transfer, if any, shall be in the following order of preference :—

Restrictions on transfer by members of Scheduled Tribe becoming a Bhumidhar under section 131-B

(a) landless agricultural labourer;

(b) marginal farmer;

(c) small farmer; and

(d) a person other than a person referred to in clauses (a), (b) and (c).

(2) A transfer in favour of a person belonging to clause (a) of sub-section (1) shall be made in order of preference given below. If a person referred to in clause (a) is not available then transfer may be made to a person referred to in clause (b) of the said sub-section and if a person referred to in clause (b) is also not available then to a person referred to in clause (c) of the said sub-section and if a person referred to in clause (c) is also not available then to a person referred to in clause (d) of the said sub-section in the same order of preference :—

(a) first, to the resident of the village where the land is situate ;

(b) secondly, if no person referred to in clause (a) is available, to the resident of any other village within the Panchayat area comprising the village where the land is situate;

(c) thirdly, if no person referred to in clauses (a) and (b) is available, to the resident of a village adjoining the Panchayat area comprising the village where the land is situate.

(3) If no person referred to in sub-section (1) belonging to a Scheduled Tribe is available, the land may be transferred to a person belonging to a Scheduled Caste in the order of preference given in sub-sections (1) and (2).

(4) No transfer under this section shall be made except with the previous approval of the concerned Assistant Collector.

Explanation :—For the purposes of this section the expressions 'agricultural labourer', 'landless', 'Panchayat area', 'marginal farmer' and 'small farmer' shall have the meanings respectively assigned to them in section 157-AA."

Repeal and savings

6. (1) The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Ordinance, 1997 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

R. D. MATHUR,

Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 115 सा० विधा० --(875)--1997--850 (मैक०)।